न्यायालय अपर कलेक्टर (विकास), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एवं विहित प्राधिकारी बुरहानपुर

क्र 8976 दि 07/09/18 प्रकरण क्रमांक 44/धारा 40/2017-18 दिनांक 12.03.2018

म.प्र. शासन (जिला परियोजना समन्वयक जि.शि.के.बुरहानपुर) — आवेदक

द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार

विरुध्द

अनावेदकगण

1. श्रीमति पिल्कुबाई कैलाश
   तत्का.सरपंच,
2. श्री रामश्या रावत
   तत्का.सचिव,
   ग्राम पंचायत धाबा

//आदेश//

(पारित आदेश दिनांक 07.09.2018)

प्रस्तुत प्रकरण जिला परियोजना समन्वयक जि.शि.के.बुरहानपुर के पत्र कमांक /1374/जि.शि.के./2014 दिनांक 20.10.2014 के आधार पर म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 एवं 92 के तहत दर्ज किया गया है।

ग्राम पंचायत धाबा में माध्यमिक शाला के लिये वर्ष 2011-12 में 01 अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत कार्य हेतु 521360/-लाख रू निर्माण एजेंसी को प्रदाय की गई एवं माध्यमिक शाला धाबा वर्ष 2011-12 प्रधान पाठक कक्ष स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु 258720/-रू. निर्माण एजेंसी को प्रदाय की गई। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत धाबा द्वारा निर्माण कार्य पूर्ण ना कराये जाने से जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान बुरहानपुर द्वारा निर्माण कार्य की जांच सहायक यंत्री जिला शिक्षा केन्द्र बुरहानपुर द्वारा कराकर जांच प्रतिवेदन दिनांक 20.10.2014 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत धाबा में माध्यमिक शाला के लिये वर्ष 2011-12 में 01 अतिरिक्त कक्ष स्वीकृत हेतु 521360/-लाख रू प्रदाय किये गये। प्रदाय राशि में से 451380/-रू का आहरण पंचायत द्वारा कर निर्माण कार्य छत स्तर तक कराया गया। निर्माण कार्य का मुल्यांकन 389755/-रू. प्राप्त हुआ। 61625/-रू अधिक राशि आहरित की गई। माध्यमिक शाला धाबा वर्ष 2011-12 प्रधान पाठक कक्ष स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु 258720/-रू. ग्राम पंचायत धाबा को प्रदाय किये गये। पंचायत द्वारा उपलब्ध राशि में से 80000/-रू का आहरण कर निर्माण कार्य नही कराया गया। इस प्रकार 61625/-रू एवं 80000/-रू ग्राम पंचायत निर्माण एजेंसी द्वारा अधिक राशि आहरित कुल राशि 141625/-रू. अधिक आहरित कर निर्माण कार्य ना कराया जाकर, वित्तीय अनियमितता की गई।

प्रकरण के संबंध में दिनांक 04.10.2017 को तत्का. सरपंच/सचिव को नोटिस जारी किया गया। उक्त के संबंध में दिनांक 17.01.2018 को तत्का. सरपंच श्रीमति पिल्कुबाई कैलाश एवं तत्का सचिव श्री रामश्या रावत द्वारा जवाब प्रस्तुत किया कि निर्माण कार्य हेतु सामग्री क्रय करने हेतु राशि आहरित की गई। निर्माण कार्य का मुल्यांकन उपयंत्री द्वारा कम किया गया है। मुल्यांकन पश्चात जो अंतर की राशि होगी वह जमा करने हेतु सहमत है। इस आधार पर पुनः जिला परियोजना समन्वयक से रिपोर्ट मांगी गई।

जिला परियोजना समन्वयक जि.शि.के.बुरहानपुर के पत्र कमांक/2855 दिनांक 18.01.2018 द्वारा पुनः प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि अतिरिक्त कक्ष निर्माण हेतु निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत धाबा के तत्का. सरपंच श्रीमति पिल्कुबाई कैलाश एवं तत्का सचिव श्री रामश्या रावत द्वारा आगे कोई निर्माण कार्य नही किया गया ना ही अधिक आहरित राशि जमा की गई। इस प्रकार 141625/-लाख रू वसूली योग्य है।

अनावेदकगणों द्वारा जिला परियोजना समन्वयक के इस पत्र दिनांक 18.01.2018 के संबंध में कोई खण्डन नही किया है और न ही इस प्रतिवेदन को गलत सिद्ध करने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये है।

मेरे द्वारा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजो के आधार पर ग्राम पंचायत धाबा में स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष हेतु 521360/—लाख रू प्रदाय किये गये। प्रदाय राशि में से 451380/—रू निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत धाबा द्वारा आहरण किया गया। निर्माण कार्य का मुल्यांकन 389755/—रू. प्राप्त हुआ। निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत धाबा द्वारा 61625/—रू अधिक राशि आहरित की गई। इस प्रकार माध्यमिक शाला हेतु वर्ष 2011—12 प्रधान पाठक कक्ष स्वीकृत निर्माण कार्य हेतु 258720/—रू. निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत धाबा को प्रदाय किये गये। पंचायत द्वारा उपलब्ध राशि में से 80000/—रू. का आहरण कर निर्माण कार्य नही कराया गया। इस प्रकार अनावेदकगणो द्वारा कुल राशि 141625/—रू. अधिक आहरित कर निर्माण कार्य ना कराया जाकर सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत धाबा द्वारा वित्तीय अनियमितता की गई और राशि अपने पास अनाधिकृत रूप से रखी गई है।

अतः कुल राशि 141625/—रू में से रू. 70812/— तत्का सरपंच श्रीमति पिल्कुबाई कैलाश एवं 70813/—रू तत्का. सचिव श्री रामश्या रावत ग्राम पंचायत धाबा 15 दिवस में राशि कार्यालय जनपद पंचायत खकनार में जमा करें, अन्यथा उन्हे म.प्र. पंचायतराज ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत सिविल जेल भेजने की कार्यवाही की जावेगी।

अनावेदक श्री रामश्या रावत तत्का सचिव ग्राम पंचायत धाबा के विरूद्ध सक्षम अधिकारी कडी कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 07.09.2018 को जारी किया गया ।

आदेश खुले न्यायालय में पारित एवं उदघोषित किया गया।

7/9/18

(शैलेन्द्र सिंह)
I.A.S.
विहित प्राधिकारी
एवं
अपर कलेक्टर (विकास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर

प्रतिलिपि,

1. जिला पंचायतराज अधिकारी, जिला पंचायत बुरहानपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खकनार की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान बुरहानपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु राशि जमा होने पर अपूर्ण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।
4. संबंधित श्री ....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

विहित प्राधिकारी
एवं
अपर कलेक्टर(विकास)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत बुरहानपुर